

Online (3rd Phase) Additional Counselling Schedule
(6th & 7th Round) Group-A, B, C, D, F, G, H, I, K1 to K8 & L
For All NON-ADMITTED Candidates appeared in UPJEE (POLYTECHNIC)-2026
(QUALIFIED Candidates of Uttar Pradesh and Other State)

Round - 06		
1	6th Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP and Other state)	21/08/2026 to 23/08/2026
2	6th Round seat allotment	24/08/2026
3	6th Round Online Freeze option selection for all candidates (no Float option will be available in Additional Counselling), and deposit Security + Counseling fee through their Login (online)	25/08/2026 to 28/08/2026
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	25/08/2026 to 29/08/2026 (up to 6:00 PM)
5	6th Round Admitted Seat Withdrawal	30/08/2026
6	Last date of P I Reporting for round 6	31/08/2026
Round - 07		
1	7th Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP and Other state)	31/08/2026 to 02/09/2026
2	7th Round seat allotment	03/09/2026
3	7th Round deposit Security + Counseling fee through their Login (online). All candidates are auto Frozen	04/09/2026 to 07/09/2026
4	Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates)	05/09/2026 to 08/09/2026 (up to 6:00 PM)
5	7th Round Admitted Seat Withdrawal	09/09/2026
6	Last date of P I Reporting for round 7	10/09/2026

नोट:-

- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आईडी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल <https://jeecup.admissions.nic.in> पर लॉगिन करते हुए प्रवेश हेतु चयनित संस्था/ पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी0 अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध **Forget Password** का चयन कर पासवर्ड **Reset** कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
- अतिरिक्त काउन्सिलिंग के उक्त छठा एवं सातवां चरण ऑनलाइन होंगे जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अप्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें संस्था/पाठ्यक्रम आवंटित नहीं हुई है अथवा अन्य प्रदेशों के अप्रवेशित अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे।
- छठे एवं सातवें चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। सार्वजनिक अवकाश के दिनों में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन का कार्य सहायता केन्द्रों पर नहीं किया जायेगा।







4. सीट आवंटन के पश्चात फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। छठे एवं सातवें चरण में अभ्यर्थियों के लिए फ्लोट का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अभ्यर्थियों के लिए केवल आवंटित सीट को फ्रीज करने का विकल्प ही ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसको चयन के पश्चात अभ्यर्थी को सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- ऑनलाइन जमा करना होगा। फ्रीज विकल्प का चयन करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केन्द्र पर जाना होगा। डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर निर्धारित तिथि तक अवशेष प्रवेश शुल्क जमा करना होगा, जिसके पश्चात् प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण मानी जायेगी। सीट आवंटन के पश्चात सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क न जमा करने वाले अभ्यर्थी अथवा अभिलेख सत्यापन न करवाने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी व ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए पात्र नहीं रहेंगे एवं उनके द्वारा जमा किया गया सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- किसी भी दशा वापस नहीं किया जायेगा और न ही अगले चरण की काउन्सिलिंग में समायोजित किया जायेगा।
5. छठे चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्रीज विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी कम काउन्सिलिंग शुल्क नहीं जमा करता है तो वह सातवें चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह सातवें चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा।
- छठे चरण की काउन्सिलिंग में फ्लोट का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा तथा छठे चरण की आवंटित सभी सीटें स्वतः फ्रीज करते हुए अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापन कराते हुए प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- अभिलेख सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी शिड्यूल में निर्धारित तिथि तक अपनी आवंटित संस्थाओं में पठन-पाठन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम से पंचम चरण तक अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करायी जा चुकी है उन्हें छठे चरण में सीट आवंटन की दशा में अभिलेख सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/- जमा करने के पश्चात अपने लॉगिन पर उपलब्ध प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु जा सकते हैं।
7. जिन अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार अतिरिक्त काउन्सिलिंग के छठे चरण में सीट एक्सेप्टेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये गये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी।
8. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा Withdrawal विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफण्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
9. आवंटित संस्था द्वारा यदि संस्था/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग अभ्यर्थी से की जाती है तो अभ्यर्थी प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

18/08/2016

अधिक शुल्क की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

10. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, वर्ग एवं उपवर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आय, निवास, ई०डब्ल्यू०एस०, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
11. सभी संस्थाएं यह सुनिश्चित कर लें कि यदि ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली से उनकी प्रवेश क्षमता में परिवर्तन होता है तो प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश होने की स्थिति में उसी स्तर/प्रकार (राजकीय/अनुदानित/पी०पी०पी०/निजी क्षेत्र) की संस्था में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा छात्रों को समायोजित/स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रवेश के समय संस्था द्वारा इस आशय का हलफनामा छात्रों से प्राप्त कर लिया जाये।
12. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी०/फार्मसी एवं अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश आवंटन केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।
13. अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित छात्र/छात्राएँ काउन्सिलिंग में सम्मिलित निजी क्षेत्र की अल्पसंख्यक संस्थाओं की विशेष अल्पसंख्यक कोटा सीटों का चयन कर सकते हैं।
14. संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन०आई०सी० के पोर्टल पर **छठे चरण हेतु दिनांक 31.08.2026** तथा **सातवें चरण हेतु दिनांक 10.09.2026 तक पी०आई० (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी**, जिससे अभ्यर्थियों का प्रवेश एन०आई०सी० के सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी०आई० (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे अतिरिक्त छठे चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के सातवें चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं की जायेगी एवं अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं रहेगा।

18/08/2026

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उ०प्र०, लखनऊ